

**माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 24.01.2018 को सीमा शुल्क प्रधान आयुक्तालय,
विशाखापट्टनम के निरीक्षण के उपरांत आयुक्तालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की
विशेष बैठक का कार्यवृत्त**

सीमा शुल्क प्रधान आयुक्तालय विशाखापट्टनम की संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा दिनांक 24.01.2018 को आयुक्तालय के निरीक्षण के उपरान्त विशेष समीक्षा बैठक दिनांक 05.02.2018 को संध्या 4 बजे डॉ. डी. के श्रीनिवास, आयुक्त, सीमा शुल्क, विशाखापट्टनम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे :

क्र. सं. S/N	अधिकारियों के नाम Name of officers श्री/ श्रीमति/ कु. Shree/ Smt. /Kum.	पदनाम / Designation
1.	सुधाकर मिश्र /Sudhakar Mishra	अपर - आयुक्त / Addl Commissioner
2	एच एस नस्कर /H S Naskar	उप-आयुक्त /Dy. Commissioner
3	टी. रवि वर्मा / T Ravi Verma	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
4	एच के रेड्डी /H K Reddy	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
5	पी.वी.एस.एस. श्रीनिवास /PVSS Srinivas	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
6	पी गोपीचन्द्र /P Gopichand	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
7	जी वी एस आर शर्मा /GVSR Sharma	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
8	जोगिंदर सिंह मोर/Joginder Singh Mor	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
9	टी वी सायेस्वर राव/T. V. Saishawara Rao	प्रशासनिक अधिकारी /Admin Officer
10	सी एच बट्टी नारायण / Ch V B Narayana	अधीक्षक /Supdt.
11	बी ए कृष्ण कुमार/ B A Krishna Kumar	अधीक्षक /Supdt.
12	मो. इब्राहिम /Md Ibrahim	अधीक्षक /Supdt.
13	वी. मनोहर/V Manohar	अधीक्षक /Supdt.
14	वाई. रघुनाथ रेड्डी/Y Raghunath Reddy	अधीक्षक /Supdt.
15	एन. भानु किरण/N Bhanukiran	अधीक्षक /Supdt.
16	डी. रवि चन्द्रा /D Ravichandra	अधीक्षक /Supdt.
17	जी. वी. एस. एस. प्रसाद/GVVS Prasad	अधीक्षक /Supdt.
18	डी. श्रीनिवास /D Srinivas Rao	अधीक्षक /Supdt.
19	एन. भानुमूर्ति /N Bhanumurthy	अधीक्षक /Supdt.
20	संतोष कुमार सुमन/S K Suman	निवारक अधिकारी /PO
21	श्री राम शर्मा /Sri Ram Sharma	व अनुवादक /Sr Translator

बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय ने संयोजक, माननीय राजभाषा समिति का पत्र पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात उक्त निरीक्षण के दौरान माननीय समिति द्वारा इंगित निम्नलिखित खामियों पर विस्तृत चर्चा प्रारम्भ की :-

(क) कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हिन्दी प्रशिक्षण की कमी।

माननीय समिति ने आयुक्तालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हिन्दी प्रशिक्षण की कमी पर असंतोष व्यक्त किया एवं इसे वर्ष 2018-19 तक पूरा कर लेने के लिए निर्देश दिया।

क्रियान्वयन - इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की एक सूची बनाएँ एवं आवश्यकता अनुसार हिन्दी शिक्षण संस्थान अथवा कार्यशालाओं के माध्यम से वर्ष 2018-19 तक प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करें।

Minutes of the Special meeting of the Official Language Implementation Committee of the office of the Principal Commissioner of Customs, Visakhapatnam in pursuance to the Inspection of the Honorable Parliamentary Committee on Official Language held on 24.01.2018

In pursuance to the Inspection of this Commissionerate by the Hon'ble Parliamentary Committee on Official Language, a special meeting was held in this Commissionerate on 05.02.2018 at 4 PM under the Chairmanship of Dr. D K Srinivas, Commissioner of Customs. The following Officers and staff attended the meeting :-

क्र. सं. S/N	अधिकारियों के नाम Name of officers श्री/ श्रीमति/ कु. Shree/ Smt. /Kum.	पदनाम / Designation
1.	सुधाकर मिश्रा /Sudhakar Mishra	अपर - आयुक्त / Addl Commissioner
2	एच एस नस्कर /H S Naskar	उप-आयुक्त /Dy. Commissioner
3	टी. रवि वर्मा / T Ravi Verma	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
4	एच के रेड्डी /H K Reddy	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
5	पी.वी.एस.एस. श्रीनिवास /PVSS Srinivas	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
6	पी गोपीचन्द /P Gopichand	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
7	जी वी एस आर शर्मा /GVSR Sharma	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
8	जोगिंदर सिंह मोर/Joginder Singh Mor	सह-आयुक्त /Asst. Commissioner
9	टी वी सायेस्वर राव/T. V. Saishawara Rao	प्रशासनिक अधिकारी /Admin Officer
10	सी एच बट्टी नारायण / Ch V B Narayana	अधीक्षक /Supdt.
11	बी ए कृष्ण कुमार/ B A Krishna Kumar	अधीक्षक /Supdt.
12	मो. इब्राहिम /Md Ibrahim	अधीक्षक /Supdt.
13	वी. मनोहर/V Manohar	अधीक्षक /Supdt.
14	वाई. रघुनाथ रेड्डी/Y Raghunath Reddy	अधीक्षक /Supdt.
15	एन. भानु किरण/N Bhanukiran	अधीक्षक /Supdt.
16	डी. रवि चन्द्रा /D Ravichandra	अधीक्षक /Supdt.
17	जी. वी. एस. एस. प्रसाद/GVVS Prasad	अधीक्षक /Supdt.
18	डी. श्रीनिवास /D Srinivas Rao	अधीक्षक /Supdt.
19	एन. भानुमूर्ति /N Bhanumurthy	अधीक्षक /Supdt.
20	संतोष कुमार सुमन/S K Suman	निवारक अधिकारी /PO
21	श्री राम शर्मा /Sri Ram Sharma	व अनुवादक /Sr Translator

Initiating the meeting, the Chairman read out the DO letter given by the Convener of the Honourable Committee wherein, the Committee has conveyed thanks for the overall coordination and arrangements done by this commissionerate during the inspection of different offices located at Visakhapatnam.

Further, the Chairman discussed in detail the following shortcomings pointed out by the Hon'ble Committee and directions given during the Inspection :

(i) Lack of Hindi Training to Officers and staff.

The Chairman informed the members about the Committee's dissatisfaction over the status of the Hindi knowledge of the Officers and staff and its direction to complete the Hindi training to all the Officers and staff by 2018-19.

Action – The Chairman directed the Hindi Officer to prepare a separate roster for the Officers who have not been imparted Hindi training reflecting the standard of their Hindi knowledge and arrange suitable training to them either by sending them to the training centre under the Hindi Teaching scheme or by conducting full day workshop at departmental level.

(ख) वार्षिक कार्यक्रम में प्रदत्त लक्ष्य की अपेक्षा पत्राचार एवं टिप्पणी की कम प्रतिशतता ।

इस आयुक्तालय में हिन्दी में पत्राचार एवं टिप्पणी लेखन की प्रतिशतता पर माननीय समिति ने असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिया कि वार्षिक कार्यक्रम में प्रदत्त लक्ष्य जल्द प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

क्रियान्वयन - अध्यक्ष महोदय ने समस्त अनुभागाध्यक्षों को समस्त पत्र द्विभाषीय/हिन्दी में जारी करने एवं उन्हे हिन्दी में हस्ताक्षरित करने का निर्देश दिया। साथ ही इस निर्देश की अनुपालना संबंधी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर हिन्दी अनुभाग में जमा करने को कहा ।

(ग) विभागीय वेबसाइट का पूरी तरह द्विभाषीय नहीं होना ।

माननीय समिति ने इंगित किया कि आयुक्तालय कि वेबसाइट पूरी तरह द्विभाषीय नहीं है जो कि अनिवार्य है।

क्रियान्वयन - अध्यक्ष महोदय ने सह-आयुक्त (ई. डी. आई.) को निर्देश दिया कि विभागीय वेबसाइट को एक महीने के भीतर द्विभाषीय विकसित कर उन्हे सूचित किया जाए।

(घ) हिन्दी किताबों की खरीद पर खर्च में कमी।

हिन्दी किताबों की खरीद पर पर्याप्त खर्च नहीं होने पर माननीय समिति ने असंतोष व्यक्त किया एवं निर्देश दिया है की भविष्य में उक्त आदेश की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

क्रियान्वयन - अध्यक्ष महोदय ने सह-आयुक्त (प्र.) को निर्देश दिया की वे इस मद के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाएँ। साथ ही हिन्दी अनुभाग को यह निर्देश दिया की एक लघु-पुस्तकालय की स्थापना की जाए जिससे कर्मचारियों को हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध कारवाई जा सके।

(च) गोपनीय सील का द्विभाषीय नहीं होना।

इस आयुक्तालय की एक गोपनीय सील जो काफी पुरानी है वह द्विभाषीय नहीं है जिसे माननीय समिति ने राजभाषा नियम का उलंघन माना एवं आदेश दिया की जल्द से जल्द इसे द्विभाषीय बनवाया जाए।

क्रियान्वयन - इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने सह-आयुक्त (निवारक) को यह निर्देश दिया की वे बोर्ड एवं मंत्रालय से इस संदर्भ में पत्राचार कर उक्त सील का द्विभाषीय स्वरूप उपलब्ध करवाने की जल्द से जल्द व्यवस्था करें।

(छ) सेवा पुस्तिकाओं में पर्याप्त प्रविष्टियाँ हिन्दी /द्विभाषीय में नहीं होना।

सेवा पुस्तिकाओं में पर्याप्त प्रविष्टियाँ हिन्दी/द्विभाषीय नहीं होने पर माननीय समिति ने असंतोष व्यक्त किया। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने लेखा अनुभाग को यह निर्देश दिया कि समस्त प्रविष्टियाँ हिन्दी/द्विभाषीय रूप में कि जाए।

(ii) Less percentage of Correspondence and Notings as against the prescribed target in the Annual Program.

The chairman further told that the Honourable Committee has pointed out that the percentage of correspondence and notings in Hindi/bilingual is far behind the prescribed target as laid down in the Annual Program and has directed to take immediate steps to achieve the target as soon as possible.

Action- Drawing the attention of all the supervisory heads of the Section to the regular instructions being issued in this regard, the Chairman directed that it is the responsibility of all the section heads to ensure that all the letters being issued from their sections are prepared in bilingual/Hindi and are signed in Hindi. A compliance report in this regard may be submitted to the Chairman within 15 days.

(iii) Non-availability of complete bilingual website.

Discussing the shortcomings in bilingualization of the departmental website pointed out by the Committee, the Chairman told that the official website of this Commissionerate is only partially bilingual and needs to be bilingualized completely at the earliest.

Action – The Chairman directed the Asst Commissioner (EDI) to arrange to develop the official website in bilingual form and submit a compliance report of the same within a month.

(iv) No sufficient expenditure on purchase of Hindi Books

The chairman while referring the figures shown in the Inspection Questionnaire and shortcomings pointed out by the Hon'ble Committee inadequate expenditure on purchase of Hindi Books, told the committee that our percentage of expenditure on purchase of Hindi books is only 45 % as against the prescribed target of 50 % and the same needs to be complied with in any condition.

Action: The Chairman directed the the Asst Commissioner (Admin) to provide sufficient funds for purchase of Hindi Books/Magazines. The Hindi Cell was also directed to establish a small Hindi library for the Commissionerate.

(v) Non-availability of bilingual confidential brass seal.

The Chairman while drawing attention of the members towards the non-availability of the bilingual confidential brass seal told the members that it has been specifically pointed out by the Hon'ble Committee and the same needs to be procured at the earliest.

Action- The Chairman directed the Asst Commissioner (Preventive) to take up the issue with the Board/Ministry immediately for procurement of bilingual brass seal for the Commissionerate .

(vi) No sufficient entries in Hindi in Service Books.

Drawing the attention of the Members towards the discontent expressed by the Hon'ble Committee on entries in Service Books in Hindi, the Chairman directed the concerned section head to ensure that all the entries in the service books are being made in Hindi/bilingual.

इसके साथ ही माननीय समिति द्वारा निर्देशित उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा राजभाषा के कार्यान्वयन एवं संबन्धित विषय पर जारी सभी नियमों/निर्देशों के शतप्रतिशत अनुपालन एवं इसमें आने वाली कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा कि गयी एवं इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गए :

- (क) राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी समय समय पर जारी निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन। (क्रियान्वयन - समस्त अनुभाग)
- (ख) आयुक्तालय में उपलब्ध समस्त फ़ाइल कवरों एवं रजिस्ट्रों के शीर्ष का द्विभाषीयकरण (क्रियान्वयन - समस्त अनुभाग)
- (ग) सभी प्रकार के पत्रों को द्विभाषीय/हिन्दी में जारी करना एवं उसे हिन्दी में हस्ताक्षरित करना। (क्रियान्वयन - समस्त अनुभाग)
- (घ) सभी फ़ाइल कवरों पर छापे गए हिन्दी टिप्पण प्रारूपों की मदद से हिन्दी टिप्पणी कि प्रतिशतता को बढ़ाना। (क्रियान्वयन - समस्त अनुभाग)
- (च) द्विभाषीय खबर मुहरों की सहायता से सेवा पुस्तिकाओं में हिन्दी में प्रविष्टियों को सुनिश्चित करना। (क्रियान्वयन - लेखा अनुभाग)
- (छ) हिन्दी में काम करने में अक्षम कर्मचारियों की पहचान करना एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। (क्रियान्वयन - हिन्दी अनुभाग)
- (ज) तिमाही में कम से कम एक हिन्दी बैठक एवं कार्यशाला सुनिश्चित करना। (क्रियान्वयन - हिन्दी अनुभाग)
- (झ) रिक्त हिन्दी पदों को भरने हेतु मुख्यालय/मंत्रालय से पत्राचार करना (क्रियान्वयन - स्थापना अनुभाग)
- (ट) लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु हिन्दी शिक्षण संस्थान से पत्राचार करना। (क्रियान्वयन - हिन्दी अनुभाग)

अंत में बैठक की कार्यवाही को समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया की संबन्धित विषय पर जारी समस्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन अनिवार्य है एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में प्रदत्त लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करना हमारा दायित्व है जिसे जल्द से जल्द हासिल किया जाना चाहिए। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को पुनः निर्देश दिया की माननीय समिति द्वारा इंगित खामियों को समयबद्ध तरीके से दूर किया जाए एवं इसकी अनुपालना संबंधी रिपोर्ट हिन्दी अनुभाग को जल्द से जल्द भेजी जाए।

In addition to the above, a detailed discussion on the future plan for effective implementation of Hindi and 100% compliance of the Official Language Rules/Acts and to remove the shortcomings as pointed out by the Hon'ble Committee was held and the following directions were given by the Chairman:

- (i) 100 % compliance of the the guidelines issued from time to time regarding implementation of Official Language. (Action - By all sections)
- (ii) 100% bilingualization of the subjects on the file covers/registers and efforts to be made to make entries also in bilingual/Hindi.
(Action - By all sections)
- (iii) All forwarding /covering letters to be issued in Hindi/Bilingual with Signature in Hindi. (Action - By all sections/Signatory Authorities)
- (iv) All short notings to be written in Hindi with the help of the templates made available inside the file covers. (Action - By all sections)
- (v) All entries in the service books to be made in Hindi/bilingual with the help of affixing bilingual stamps. (Action - By AO(Accounts))
- (vi) To identify the staff who are not able to do their work in Hindi on Computer and to arrange proper training for them. (Action - By Hindi Cell)
- (vii) To ensure one OLIC Meeting and one Hindi workshop in every quarter. (Action - By Hindi Cell)
- (viii) To make correspondence with the Board for filling the vacant Hindi Posts. (Action - By Establishment Section)
- (ix) To make correspondence with the Hindi Training Centre for training the Staff in the Clerical cadre. (Action - By Hindi Cell)

Summing up the meeting, the Chairman told the members that the Rules/guidelines laid down for implementation of the official Language have to be complied with and all efforts are to be made to achieve the target as laid down in the Annual Program at the earliest. The Chairman reiterated that the shortcomings pointed out by the Committee are to be made good in a time bound manner without fail.